उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

सितम्बर 19, 2016 ई0

सं0 F(9)-1/RG/UERC/2016/1424–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 सपठित धारा 39, 40, 42 एवं 86 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 20 में :

(1) उप–विनियम 2 के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः

"परन्तु जहाँ उन्मुक्त अभिगमन संविदाकृत भार तक अनुज्ञेय है वहाँ सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान निम्नलिखित तरीकों से करेगा।"

$$WC_{\text{Embedded consumer}} = WC - [FC*0.85*12*1000/365] \text{ (in Rs./MW/day)}$$

(2) मुख्य विनियम के तृतीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेंगे, अर्थात्:–

परन्तु जहां संविदाकृत भार से अधिक उन्मुक्त अभिगमन अनुज्ञेय है वहाँ आयोग द्वारा अवधारित अतिरिक्त भार हेतु व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान सन्निहित उन्मुक्त उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जायेगाः

$$W.C._{\text{For excess load allowed}} = (ARR–PPC–TC) /(PLSD X365)(Rs./MW/Day).$$

3. मुख्य विनियम के विनियम 26 में :

उपविनियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम जोड़े जायेगें, अर्थात्:–

3. *उन्मुक्त अधिगमन ग्राहक समय समय पर लागू भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता के तथा राज्य पारेषण कम्पनी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदेशों के अधीन रहेगा।*

4. *उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक समय–समय पर संशोधित सी0ई0ए0 (ग्रिड से संयोजित हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा।*

5. *सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता प्रत्येक टाइम ब्लॉक को इस प्रकार अनुसूचित करेगा कि सभी स्रोतों, जिसमें उन्मुक्त अभिगमन के और वितरण के स्रोत सम्मिलित हैं, से इसकी कुल अनुसूची और उसकी निकासी का योग, वितरण अनुज्ञापी के साथ इसके संविदाकृत भार से अधिक न हो:*

परन्तु, आगे यह कि दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन, स्वीकृत उन्मुक्त अभिगमन क्षमता की सीमा तक स्वीकृत भार से अधिक अनुज्ञेय हो सकेगा;

परन्तु, यह भी कि लघु अवधि और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन, स्वीकृत उन्मुक्त अभिगमन क्षमता की सीमा तक स्वीकृत भार से अधिक इस शर्त के अधीन अनुज्ञेय हो सकेगा कि वर्तमान उपभोक्ता बिंदु पर वोल्टेज प्रणाली, मीटरिंग प्रणाली इत्यादि में कोई परिवर्तन अपेक्षित न हो तथा ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के कारण फलित ऊर्जा प्रवाह को ऊपर विनियम 11(2) के उपबंधो के अनुरूप वर्तमान/अपेक्षित पारेषण/वितरण नेटवर्क में संयोजित किया जा सकें।

6. *सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता पर समय–समय पर लागू शुल्क के अनुसार ए0बी0टी0 मीटर में रिकॉर्ड की गयी अधिकतम माँग के आधार पर स्थिर प्रभार/माँग प्रभार उद्ग्रहित किये जायेंगे :*

परन्तु, यदि उन्मुक्त अभिगमन की स्वीकृति ऊपर उप–विनियम (5) के परन्तुक के सम्बन्ध में, संविदाकृत भार से अधिक अनुज्ञात की जाती है तो स्थिर प्रभार/माँग प्रभार के प्रभारित किये जाने में प्रयोजन हेतु अधिकतम मांग केवल वितरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई, अर्थात् शुल्क आदेश के उपबंधों के अनुसार संविदाकृत क्षमता तक के ही संबंध में ही होगी।

इस अधिकतम माँग का संगणन निम्नानुसार किया जायेगा:

$$\frac{\text{Total Maximum Demand Recorded X Energy Recorded as supplied by the distribution licensee}}{\text{Total Energy Recorded}}$$

7. *उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक और सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता प्रत्येक दिन एस0एल0डी0सी0 और वितरण अनुज्ञापी के ऐसी निकासी इंजेक्शन के दिन पूर्ववर्ती दिन के सुबह दस बजे से पहले, लागू हुए अनुसार इंजेक्शन/निकासी अनुसूची प्रदान करेंगे।*

8. *वार्षिक अनुरक्षण आउटेज, अन्य अनुरक्षण आउटेज समय–समय पर लागू, राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधो के अधीन होगा, जबरन आउटेज की सूचना, आउटेज के 30 मिनट के भीतर एस0एल0डी.सी0 और वितरण अनुज्ञापियों को भेजी जायेगी जिसमें अनुमानित आउटेज/सुधार का समय सम्मिलित किया जायेगा। आउटेज वाली यूनिट की बहाली, राज्य ग्रिड के साथ इसके मेल से कम से कम 30 मिनट पहले एस0एल0डी0सी0 को सूचित की जायेगी।*

4. मुख्य विनियम के विनियम 27 में :

उप–विनियम (2) के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"परन्तु वितरण अनुज्ञापी उस तिथि से एक माह के भीतर इन मीटरों को संस्थापित करेगा जिस तिथि को उन्मुक्त अभिगमन द्वारा एक प्रति वितरण अनुज्ञापी को प्रेषित करते हुए नोडल एजेन्सी के पास पूर्ण उन्मुक्त अभिगमन आवेदन प्रस्तुत किया गया था"

5. मुख्य विनियम के विनियम 28 में :

(1) विनियम 28 में शीर्षक "पुनरीक्षण" के स्थान पर "अनुसूचित ऊर्जा और संविदा मांग का पुनरीक्षण" प्रतिस्थापित किया जायेगा

(2) उप–विनियम (1) में निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"(2) दीर्घ/मध्य/लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग कर रहे सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक की संविदा मांग का पुररीक्षण (कमी/वृद्धि) उविनिआ (नये एच0टी0/ई0एच0टी0 संयोजन का जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2008 के उपबंधों तथा इन विनियमों के अधीन जारी आदेशों द्वारा शासित होगा :

परन्तु लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग कर रहा एक उपभोक्ता, लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के साथ अपनी संविदा माँग के पुनरीक्षण हेतु योग्य नहीं होगा किन्तु वह यहाँ ऊपर उल्लिखित विनियमों के अनुसार उन्मुक्त अभिगमन के लिए आवेदन करते समय संविदा मांग के पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकेगा :

परन्तु आगे यह कि उन्मुक्त अभिगमन अवधि में सन्निहित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा कुल निकासी, ऐसे उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक दिन हेतु गैर उन्मुक्त अभिगमन अवधि में कुल निकासी के 80 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

6. मुख्य विनियम के अध्याय 7 में:

अध्याय 7 का शीर्षक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:–

"विचलन व्यवस्थापन"

7. मुख्य विनियम 30 के विनियम में:

(1) मुख्य विनियम 30 में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) खण्ड (ए) के उप–खण्ड (आई) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शब्दों शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(3) खण्ड (ए) के उप–खण्ड (आई0आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(4) खण्ड (बी) के उप–खण्ड (आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(5) खण्ड (बी) के उप–खण्ड (आई0आई0) के द्वितीय वाक्य भें "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(6) खण्ड (बी) के उप–खण्ड (आई0आई0) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु ऊपर विनियम 26(5) के परंतुक के अनुसार अपने संविदाकृत माँग से अधिक उन्मुक्त अभिगमन के मामलों में ऊपर खण्ड (आई0) व (आई0आई0) में उल्लिखित अधिकतम भाग ऊपर विनियम 26(6) के परंतुक के अनुसार परिवर्तित अधिकतम माँग होगा।

(7) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शीर्षक के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(8) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शब्दों के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(9) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0आई0आई0) के द्वितीय वाक्य में "असंतुलन प्रभार" शब्दों के स्थान पर "विचलन प्रभार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(10) खण्ड (सी) के उप–खण्ड (आई0आई0आई0) के द्वितीय परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु आगे यह कि इस विनियम (2) में आवृत्त उपरोक्त विचलन प्रभार एक अन्तरिम व्यवस्था है तथा यह राज्य में राज्यान्तर्गत ए0बी0टी0 तंत्र में प्रचालित होने तक लागू रहेगी, जिस के पश्चात् विचलन आयोग द्वारा जैसे ही और जब अधिसूचित किया जाये तब विचलन व्यवस्थापन और सम्बन्ध मामले, विनियम के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार किये गये विचलन व्यवस्थापन एकाउंट के आधार पर व्यवस्थित किया जायेगा।"

8. मुख्य विनियम से विनियम 31 में:

परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु आगे यह कि राज्य में ए0बी0टी0 तंत्र प्रचालित हो जाने के पश्चात् रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, राज्य ग्रिड संहिता और समय–समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार राज्य रिएक्टिव ऊर्जा एकाउंट के आधार पर व्यवस्थित किया जायेगें।"

आयोग के आदेश से
नीरज सती,
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।